

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 7-46/99/आ.प्र./एक,

भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर, 2000.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त कलेक्टर,  
मध्यप्रदेश.

विषय :—आरक्षित वर्गों के आवेदकों द्वारा सामान्य वर्गों के स्थान पर उन्हें अनारक्षित पदों पर समायोजित किया जाना.

सन्दर्भ:—इस विभाग का परिपत्र क्र. एफ 7-11/94/आ.प्र./एक, दिनांक 22-10-94, 6/10-7-95 एवं दिनांक 19-5-97.

1 जुलाई, 1994 से प्रभावशील "मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994" (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 4 (4) में निम्नानुसार प्रावधान है:—


"यदि उपधारा (2) में उल्लेखित प्रवर्ग में से किसी प्रवर्ग के संबंध में कोई व्यक्ति सामान्य अभ्यर्थियों के साथ खुली प्रतियोगिता में योग्यता के आधार पर चयनित हो जाता है तो उसे उपधारा (2) के अधीन ऐसे प्रवर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा."

अधिनियम के उक्त प्रावधान अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु सन्दर्भित परिपत्रों द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं.

2. अतः पुनः इस संबंध में निर्देशों को और स्पष्ट करते हुए, यह निर्देशित किया जाता है कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अनारक्षित पदों के विरुद्ध तभी समायोजित किया जाएगा जब वे हर प्रकार से सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के समान ही बिना किसी रियायत के योग्यता प्राप्त करेंगे.

3. प्रत्येक नियुक्तकर्ता अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि जिन पदों पर प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति होती है उनमें नियुक्ति के समय शासन के उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार;

  
अनुभाषा अधिकारी  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
(आरक्षण प्रकोष्ठ)

हस्ता./-  
(ओ. पी. चौधरी)  
अवर सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग.


पृ.क्र. एफ 7-46/99/आ.प्र./एक,

भोपाल, दिनांक 7 नवंबर, 2000.

प्रतिलिपि :-

1. महामहिम राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल.
2. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, सचिवालय, भोपाल.
3. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय.
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
5. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.
6. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर.
7. विशेष सहायक, उप मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश, शासन.
8. निज सचिव/निज सहायक, मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/मध्यप्रदेश शासन.
9. मुख्य निर्वाचन अधिकारी/पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.
11. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर.
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर.
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल.
14. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल.
15. प्रमुख सचिव/सचिव/उपसचिव/सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल.
16. आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
17. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल मंत्रालय.
18. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मंत्रालय, भोपाल.
19. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल.
20. अध्यक्ष, शासन से समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों.
21. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत विकास खण्ड, समिति मध्यप्रदेश.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

  
अनुमान अधिकारी  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
(आरक्षक प्रवर्तक)

हस्ता./-

(ओ. पी. चौधरी)

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग.